सराय अधिनियम, 1867

धाराओं का क्रम

ध०राएं

उद्देशिका।

1. बंगाल रेगुलेशन 1807 का 14 की धारा 11. खण्ड 5 का निरसन।

2. निर्वचन-खण्ड।

3. सरायपालों को इस अधिनियम का नोटिस दिया जाना।

4. सरायों के रजिस्टरों का रखा जाना।

5. सराय जब तक रजिस्ट्रीकृत न की जाए तब तक ठहरने वालों आदि को ठहरने न देना।

6. मजिस्ट्रेट चरित्र-प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने वाले सरायपाल को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार कर सकेगा।

7. सरायपालों के कर्तव्य।

8. सरायपालों द्वारा रिपोर्ट दिए जाने का आदेश करने की शक्ति।

9. अभित्यक्त सरायों को बन्द करने, सुरक्षित करने और साफ और स्वच्छ रखने की शक्ति।

10. जीर्णशीर्ण सरायों को गिराना या उनकी मरम्मत कराना।

11. जीर्णशीर्ण सरायों के सामान की बिक्री।

12. सरायों को गन्दा या अतिवृद्ध रहने देने के लिए शास्ति।

13. विनियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

14. अधिनियम और विनियमों के अतिलंघन के लिए शास्तियां।

15. तीसरी बार अपराध के लिए सिद्धदोष होने पर व्यक्तियों को सराय रखने की निरर्हता।

16. अधिनियम की किसी भी बात का कतिपय सरायों को लागू न होना।

17. अधिनियम का विस्तार।

18. संक्षिप्त नाम।

अनुसूची।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

सराय अधिनियम, 1867

(1867 का अधिनियम संख्यांक 22)[1]

[15 मार्च, 1867]

**सार्वजनिक सरायों और पड़ावों का
विनियमन करने के लिए
अधिनियम**

उद्देशिका—अत: सार्वजनिक सरायों और पड़ावों का विनियमन करने के लिए उपबन्ध करना समीचीन है; अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. [बंगाल रेगुलेशन 1807 का 14 की धारा 11. खण्ड 5 का निरसन ।]—संशोधन अधिनियम, 1891 (1891 का 12) द्वारा निरसित ।

2. निर्वचन-खण्ड—इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

"सराय"—"सराय" से ऐसा कोई भवन अभिप्रेत है जो यात्रियों के आश्रय और आवास के लिए प्रयोग में लाया जाता है और इसके अन्तर्गत उस दशा में, जिसमें भवन का केवल एक भाग ही सराय के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उस भवन का इस प्रकार प्रयोग में आने वाला भाग भी है । इसके अन्तर्गत कोई पड़ाव है, जहां तक इस अधिनियम के उपबन्ध उसे लागू होते हों ।

"सराय का सरायपाल"— "सराय का सरायपाल" के अन्तर्गत स्वामी तथा कोई ऐसा व्यक्ति है, जो उसका रख-रखाव अथवा प्रबन्ध कर रहा हो ।

"जिले का मजिस्ट्रेट"—"जिले का मजिस्ट्रेट" से ऐसा मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है, जो जिले के कार्यकारी प्रशासन का दाण्डिक मामलों में भारसाधक हो, चाहे उसका पदनाम कुछ भी हो ।

[2]* * * * *

3. सरायपालों को इस अधिनियम का नोटिस दिया जाना—इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् छह मास के भीतर, उस जिले का मजिस्ट्रेट, जिसमें कोई ऐसी सराय स्थित हो, जिसे यह अधिनियम लागू होता हो, ऐसी प्रत्येक सराय के सरायपाल को इस अधिनियम का लिखित नोटिस, सराय में उस सरायपाल के लिए रखवा कर देगा, और तत्पश्चात् समय-समय पर ऐसा नोटिस दे सकेगा, और इस नोटिस द्वारा सरायपाल से यह अपेक्षा करेगा कि वह इस अधिनियम में उपबन्धित रीति से सराय को रजिस्टर कराए ।

ऐसा नोटिस इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची में दिए गए प्ररूप में या वैसा ही प्रभाव रखने वाले प्ररूप में दिया जा सकेगा ।

4. सरायों के रजिस्टरों का रखा जाना—जिले का मजिस्ट्रेट एक रजिस्टर रखेगा जिसमें वह मजिस्ट्रेट, या कोई अन्य व्यक्ति, जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, अपनी अधिकारिता के भीतर की सभी सरायों के सरायपालों के नामों और निवास-स्थानों तथा ऐसी प्रत्येक सराय की अवस्थिति को प्रविष्ट करेगा ।

ऐसा कोई प्रविष्टि करने के लिए कोई भी प्रभार नहीं लिया जाएगा ।

5. सराय जब तक रजिस्ट्रीकृत न की जाए तब तक ठहरने वालों आदि को ठहरने न देना—जैसे कि इस अधिनियम द्वारा उपबन्ध किया गया है वैसे, रजिस्ट्रीकृत करने का नोटिस दिए जाने से एक मास के पश्चात्, किसी सराय का सरायपाल या कोई अन्य व्यक्ति किसी ठहरने वाले को तब तक उस सराय में ठहरने नहीं देगा और न ही किसी व्यक्ति, मवेशी, भेड़, हाथी, ऊंट या अन्य पशु या किसी यान को उसमें रुकने या रहने देगा जब तक सराय और उसके सरायपाल का नाम और निवास-स्थान, इस अधिनियम द्वारा किए गए उपबन्धों के अनुसार, रजिस्ट्रीकृत न कर लिया गया हो ।

---

[1] विस्तार के विषय में देखिए—आगे धारा 17 के अधीन पाद-टिप्पण ।
शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स एक्ट, 1874 (1874 का 14) की धारा 3(क) के अधीन अधिसूचना द्वारा यह अधिनियम निम्नलिखित अनुसूचित जिलों, अर्थात् :—
हजारीबाग, लोहारडागा (अब रांची जिला, देखिए—कलकत्ता गजट, 1899, भाग 1, पृ० 44) और मानभूम जिले और सिंहभूम जिले में दालभूम और कोल्हन परगना, देखिए—भारत का राजपत्र, 1881, भाग 1, पृ० 504 ।
आगरा प्रान्त की तराई, देखिए—भारत का राजपत्र, 1876, भाग 1, पृ० 505 पर प्रवृत्त हुआ घोषित किया गया ।
गंजम और कोरापुट जिलों पर तथा उड़ीसा प्रांत में कुछ भागत: अपवर्जित क्षेत्रों पर भी इसको विस्तारित किया गया ।
देखिए—उड़ीसा सरकार की क्रमश: अधिसूचनाएं सं० 776-पी, तारीख 23 जून, 1941 और सं० 188-पी, तारीख 18 जनवरी, 1939 ।

[2] 1914 के अधिनियम सं० 10 द्वारा "एक वचन शब्दों के अन्तर्गत बहुवचन होगा, और विपर्ययेन" शब्द निरसित किए गए और "स्थानीय सरकार" की परिभाषा भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा निरसित की गई ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

6. मजिस्ट्रेट चरित्र-प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने वाले सरायपाल को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार कर सकेगा—यदि जिले का मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, हस्ताक्षरित चरित्र-प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करता, सरायपाल के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार कर सकेगा ।

7. सरायपालों के कर्तव्य—किसी सराय का सरायपाल निम्नलिखित के लिए आबद्ध होगा—

(1) जब कभी उस सराय में कोई व्यक्ति किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग से ग्रस्त हो या उस रोग से मर जाए तब, उसकी तत्काल सूचना निकटतम थाने को देने के लिए;

(2) जब कभी कोई मजिस्ट्रेट या जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् रूप से इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति अपेक्षा करे तब, उसे किसी भी समय सराय में निर्बाध रूप से प्रवेश करने तथा उसका अथवा उसके किसी भाग का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए;

(3) जिले के मजिस्ट्रेट या ऐसे व्यक्ति के, जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, जब-जब वह अपेक्षा करे तब-तब, समाधानप्रद रूप में, कमरों और बरामदों तथा सराय की नालियों और उन कुओं तथा अन्य स्रोतों को, जहां से पानी उसे इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों या पशुओं के लिए प्राप्त होता है, पूर्णत: साफ रखने के लिए;

(4) सराय में या उसके आसपास सभी हानिकर वनस्पतियों को, तथा ऐसे वृक्षों और वृक्षों की शाखाओं को, जो चोरों के सराय में घुसने या वहां से उनके बाहर निकलने का साधन हो सकती हैं, हटाने के लिए;

(5) सराय के फाटकों, दीवालों, बाड़ों, छतों और नाले-नालियों को मरम्मत की हुई दशा में रखने के लिए;

(6) सराय में ठहरने वाले या रुकने वाले व्यक्तियों या रखे जाने वाले पशुओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए जितने भी चौकीदार जिले के मजिस्ट्रेट की राय में आवश्यक हों, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, उतने चौकीदारों की व्यवस्था करने के लिए; और

(7) सराय के प्रयोग के लिए प्रभारों की एक सूची सराय में ऐसे स्थान पर और ऐसे प्ररूप में या ऐसी भाषाओं में, जिन्हें जिले का मजिस्ट्रेट समय-समय पर निर्दिष्ट करे, प्रदर्शित करने के लिए ।

8. सरायपालों द्वारा रिपोर्ट दिए जाने का आदेश करने की शक्ति—किसी सराय का सरायपाल, यदि उससे जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश द्वारा जो उस पर तामील किया गया हो वैसा करने की अपेक्षा की जाए तो, या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप में, जैसा भी मजिस्ट्रेट निदेश दे, उस मजिस्ट्रेट को या ऐसे व्यक्ति को, जिसे मजिस्ट्रेट नियुक्त करे, समय-समय पर यह रिपोर्ट देगा कि पूर्वगामी दिन या रात के दौरान सराय में कौन-कौन व्यक्ति ठहरे थे ।

यदि केवल एक रात्रि से अधिक की किसी अवधि के लिए लिखित रिपोर्ट अपेक्षित हों तो जिले का मजिस्ट्रेट सरायपाल को प्ररूप-अनुसूचियां प्रस्तुत करेगा ।

सरायपाल इस प्रकार अपेक्षित जानकारी उक्त अनुसूचियों में दर्ज करेगा, और उन्हें उक्त मजिस्ट्रेट को ऐसी रीति से और ऐसी अन्तरावधियों पर, जैसा वह समय-समय पर आदेश दे, भेजेगा ।

9. अभित्यक्त सरायों को बन्द करने, सुरक्षित करने और साफ और स्वच्छ रखने की शक्ति—यदि कोई सराय, अभित्यक्त कर दिए जाने या उसका स्वामित्व विवादास्पद होने के कारण किराए पर उठे बिना रह जाती है और इस कारण ठलुए और उपद्रवी व्यक्तियों का आश्रयस्थल बन जाती है, या गन्दी और अस्वास्थ्यकर दशा को प्राप्त हो जाती है, या उसके बारे में दो या अधिक पड़ोसी यह शिकायत करते हैं कि वह न्यूसेंस हो गई है तो, जिले का मजिस्ट्रेट, सम्यक् जांच करने के पश्चात्, स्वामी को या उस व्यक्ति को, जो स्वामी होने का दावा करे, यदि उसके बारे में पता हो और वह जिले के भीतर का निवासी हो तो, लिखित नोटिस दे सकेगा, और ऐसे नोटिस को सराय के किसी सहजदृश्य भाग पर भी लगवा सकेगा, तथा नोटिस में संबंधित व्यक्तियों से, वे चाहे जो भी हों, यह अपेक्षा की जाएगी कि वे सराय को सुरक्षित करें, उसे घिरवा दें तथा साफ और स्वच्छ रखें;

और यदि इस अपेक्षा का आठ दिन के भीतर अनुपालन नहीं किया जाता तो जिले का मजिस्ट्रेट अपेक्षित कार्य सम्पन्न करा सकेगा और इस प्रकार कार्य पर हुए सभी व्यय सराय के स्वामी द्वारा अदा किए जाएंगे, तथा इस अधिनियम के अधीन शास्ति की भांति वसूल किए जा सकेंगे, या, सराय अभित्यक्त कर दिए जाने या उसका स्वामित्व विवादास्पद होने की दशा में, वे व्यय उसमें पाए गए सामान को बेचकर वसूल किए जा सकेंगे ।

10. जीर्णशीर्ण सरायों को गिराना या उनकी मरम्मत कराना—यदि जिले का मजिस्ट्रेट किसी सराय को या उसके भाग को जीर्णशीर्ण दशा में समझता है या यह समझता है कि वह गिरने वाला है या सराय में ठहरने या रुकने वाले व्यक्तियों या पशुओं के लिए किसी भी तरह खतरनाक हो गया है तो वह उस सराय के सरायपाल को लिखित रूप में एक नोटिस देगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सराय या उसके उस भाग को, जैसा भी मामले में अपेक्षित हो, तत्काल (यथास्थिति) गिरा दे, उसकी मरम्मत करवा दे या उसे सुरक्षित करा दे ।

यदि सरायपाल यथापूर्वोक्त सराय या उसके भाग को, ऐसे नोटिस के पश्चात् तीन दिन के भीतर गिराना, उसकी मरम्मत कराना या उसे सुरक्षित करना आरम्भ नहीं करता और उस कार्य को सम्यक् परिश्रम के साथ पूरा नहीं करता तो मजिस्ट्रेट पूरी सराय या उसके उतने भाग को, जितना वह आवश्यक समझे, गिरवा सकेगा, उसकी मरम्मत करवा सकेगा या उसे अन्यथा सुरक्षित करवा सकेगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रकार किए गए सभी व्यय सरायपाल द्वारा अदा किए जाएंगे और जैसे इसमें इसके पश्चात् वर्णित हैं वैसे उससे वसूल किए जा सकेंगे।

11. जीर्णशीर्ण सरायों के सामान की बिक्री—यदि ऐसी कोई सराय या उसका कोई भाग पूर्वोक्त शक्तियों के आधार पर गिरा दिया जाता है तो जिले का मजिस्ट्रेट उसके सामान को, या उतने भाग के सामान को, जितना पूर्वगामी अन्तिम धारा के उपबन्धों के अधीन गिराया जाए, बेच सकेगा, और ऐसी बिक्री से प्राप्त धन उपगत व्ययों के संदाय में लगा सकेगा तथा यदि व्यय से अधिक रकम उस बिक्री से प्राप्त होगी तो उसे, मांग की जाने पर, उस सराय के स्वामी को दे देगा, और यदि कोई कमी रह जाएगी तो उसे उसी प्रकार वसूल कर सकेगा मानो वह रकम इस अधिनियम के अधीन की गई कोई शास्ति हो।

12. सरायों को गन्दा या अतिवृद्ध रहने देने के लिए शास्ति—जो कोई, सराय का सरायपाल होते हुए, सराय को गन्दा और अस्वास्थ्यकर दशा में रहने देगा, या उसमें वनस्पति की अतिवृद्धि होने देगा या उसे साफ और स्वच्छ करने के लिए जिले के मजिस्ट्रेट से लिखित नोटिस की प्राप्ति के समय से दो दिन का अवसान होने के पश्चात्, या उसके यथापूर्वोक्त दशा में या अतिवृद्धिपूर्ण रहने देने के लिए सिद्धदोष किए जाने के पश्चात् उसे उसी दशा में या अतिवृद्ध बने रहने देगा तो वह इस अधिनियम की धारा 14 में उपबन्धित शास्तियों के दायित्वाधीन होगा।

परन्तुक—परन्तु जिले का मजिस्ट्रेट, ऐसी दैनिक शास्ति अधिरोपित करने के बदले उक्त सराय में प्रवेश कर सकेगा और उसे स्वच्छ और साफ करवा सकेगा, तथा उसकी बाबत मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए व्यय उसे सरायपाल द्वारा अदा किए जाएंगे और वे व्यय ऐसी रीति से वसूल किए जा सकेंगे जो इस अधिनियम में शास्तियों के लिए उपबन्धित हैं।

13. विनियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति—राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों की अधिक अच्छे ढंग से प्राप्ति के लिए समय-समय पर विनियम बना सकेगी, परन्तु यह तब जब ये विनियम इस अधिनियम से या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से असंगत न हों, तथा समय-समय पर उन्हें निरसित कर सकेगी या उनमें परिवर्तन और परिवर्धन कर सकेगी।

इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी विनियम और उसके निरसन तथा परिवर्तन और परिवर्धन राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

14. अधिनियम और विनियमों के अतिलंघन के लिए शास्तियां—यदि किसी सराय का सरायपाल इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का या इस अधिनियम के अनुसरण में बनाए गए किसी विनियम का अतिवर्तन करेगा तो वह, मजिस्ट्रेट के समक्ष सिद्धदोष ठहराए जाने पर, ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए, बीस रुपए से अनधिक शास्ति का, और ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान वह अपराध बना रहता है, एक रुपए प्रतिदिन से अनधिक की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा :

परन्तु सदैव यह कि यह अधिनियम किसी अन्य शास्ति या दायित्व से, जिसके अधीन कोई व्यक्ति हो, इस अधिनियम के होने या न होने पर भी, उसे छूट नहीं देगा।

इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित सभी शास्तियों की वसूली उसी रीति से की जा सकेगी जिस रीति से दण्ड प्रक्रिया संहिता (1861 का 25) की [1]धारा 61 के अधीन जुर्मानों की वसूली की जाती है।

15. तीसरी बार अपराध के लिए सिद्धदोष होने पर व्यक्तियों को सराय रखने की निरर्हता—जहां किसी सराय का सरायपाल इस अधिनियम के अधीन तीसरी बार अपराध से सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां वह, उस जिले के मजिस्ट्रेट के लिखित लाइसेन्स के बिना, उस सराय के सरायपाल के रूप में तत्पश्चात् कार्य नहीं करेगा, और ऐसा मजिस्ट्रेट या तो लाइसेन्स को रोक सकेगा या उसे ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर दे सकेगा जिन्हें वह ठीक समझे।

16. अधिनियम की किसी भी बात का कतिपय सरायों को लागू न होना—इस अधिनियम का कोई भी भाग, धारा 8 के सिवाय, किसी ऐसी सराय को लागू नहीं होगा जो राज्य सरकार या किसी नगरपालिका समिति के सीधे प्रबन्ध में हो।

17. अधिनियम का विस्तार—इस अधिनियम का विस्तार प्रथमत: उन[2] राज्यक्षेत्रों पर होगा जो उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों के लेफ्टिनेन्ट-गवर्नर और बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेन्सी के शासन के अन्तर्गत हैं।

---

[1] अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 421, 422 और 425 देखिए।

[2] अब यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश का भाग बन गया है।

इस अधिनियम का विस्तार करने की राज्य सरकार की शक्ति—किन्तु राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम का [1]विस्तार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, [2][अपने शासनाधीन राज्यक्षेत्रों] के किसी भी भाग पर, सिवाय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई नगरों [3]*** के, करे ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

18. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सराय अधिनियम, 1867 है ।

अनुसूची

नोटिस का प्ररूप

आपको यह नोटिस दिया जाता है कि 1867 के___________________________के_________________________दिन सराय अधिनियम, 1867 नामक एक अधिनियम पारित किया गया था, और आप, जो____________________(यहां उस जिले का नाम लिखें जिस पर नोटिस देने वाले मजिस्ट्रेट की अधिकारिता का विस्तार है) के भीतर सराय (या पड़ाव) के सरायपाल हैं, अपनी सराय (या पड़ाव) को___________________________के/की____________________के________________दिन से पूर्व रजिस्टर करवा लें, और यह कि वह रजिस्टर___________________________(यहां यह लिखें कि रजिस्टर कहां रखा जाना है) में रखा जाना है और यह कि यदि आप अपनी सराय (या पड़ाव) को इस प्रकार रजिस्टर नहीं कराएंगे तो आप बीस रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए, और ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान वह अपराध बना रहता है, एक रुपए प्रति दिन से अनधिक की अतिरिक्त शास्ति के लिए दायी होंगे और यह कि आपके____________________(यहां रजिस्टर रखने वाले व्यक्ति का नाम और पता लिखें) को आवेदन करने पर वह आपकी सराय (या पड़ाव) को, आपके लिए पूर्णत: नि:शुल्क, रजिस्ट्रीकृत कर लेगा ।

तारीख :

---

[1] इसको अवध पर विस्तारित किया गया है । देखिए उत्तर-पश्चिमी प्रांत और अवध राजपत्र, 1883, भाग 1, पृ० 433 में अधिसूचना सं० 591, तारीख 25 जुलाई, 1883.
इसको पंजाब पर भी विस्तारित किया गया । देखिए पंजाब सरकार राजपत्र, 1879, भाग 1, पृ० 727 में अधिसूचना सं० 4499, तारीख 13 दिसम्बर, 1879.

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा "ब्रिटिश भारत" के स्थान पर प्रतिस्थापित जिसे भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "राज्यक्षेत्र, जो कि परिनियम 21 और 22 विक्ट०, अध्याय 106 (अधिक अच्छी भारत की सरकार के लिए एक अधिनियम) द्वारा हर मजेस्टी या उसके उत्तराधिकारियों में निहित हैं या किए जाएं" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1891 के अधिनियम सं० 12 द्वारा "और प्रिंस आफ वेल्स द्वीप, सिंगापुर तथा मलाका का बंदोबस्त" शब्द निरसित किए गए ।